

RB/Estt. No. 85/2010

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

No. E (NG)I-1999/PM7/17


New Delhi, dated 09-06-2010

The General Managers(P)
All Indian Railways & Production Units.
(As per standard list)

Sub : Filling up of posts of JE-II in pre-revised grade Rs.5000-8000 (PB-2/G. P. Rs.4200 RSRP) – Selection against Intermediate Apprentices quota – Raising the upper age limit.

As Railways are aware in terms of extant instructions upper age limit for appearing in selection of Intermediate Apprentices for eventual absorption as JE-II in various technical departments, wherever practice of induction of intermediate apprentices is in vogue, has been prescribed as 45 years. The issue of raising the abovementioned upper age limit has been raised by the Staff Side in the forum of DC-JCM. The matter has accordingly been considered by the Board and it has been decided that in above cases, the existing upper age limit of 45 years may be raised to 47 years.

Please acknowledge receipt.


(D.V. Rao)

Joint Director Estt.(N)
Railway Board.

No. E(NG)I-1999/PM7/17

New Delhi. Dated 09-06-2010

Copy forwarded to:-

1. The General Secretary, All Indian Railwaymen's Federation, Room No.253, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
2. The General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen, Room No.256-E, Rail Bhavan, New Delhi (35 copies).
3. All Members, Departmental Council and National Council and Secretary, Staff Side, National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi (60 spares).
4. The Secretary General, Federation of Railway Officers Association, Room No.256-A, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
5. The Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Association, Room No.268, Rail Bhavan, New Delhi (5 spares).
6. The General Secretary, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhavan, New Delhi-110001.

....2/-

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एनजी)I-1999/पीएम7/17

नई दिल्ली, दिनांक:09.06.2010

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलों एवं
उत्पादन इकाइयां
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: पूर्व संशोधित वेतन मान रु. 5000-8000(पी.बी.-2/ग्रेड वेतन रु. 4200 आर.एस.आर.पी) में कनिष्ठ अभियन्ता-11 के पदों को भरना-मध्यवर्ती प्रशिक्षु कोटे के अन्तर्गत चयन - अधिकतम आयु सीमा को बढ़ाना.

जैसा कि रेलों को ज्ञात है, मौजूदा निर्देशों के अनुसार विभिन्न तकनीकी विभागों में कनिष्ठ अभियन्ता-11 के रूप में अन्तिम रूप से समाहन के लिए मध्यवर्ती प्रशिक्षुओं के चयन में शामिल होने के लिए, जहाँ भी मध्यवर्ती प्रशिक्षुओं की भर्ती की पद्धति प्रचलन में है, अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष निर्धारित की गई है। उपरोक्त अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने का मुद्दा कर्मचारी पक्ष द्वारा डी.सी.-जे.सी.एम. की बैठक में उठाया गया है। तदनुसार मामले पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और यह विनिश्चय किया गया है कि उपरोक्त मामलों में अधिकतम आयु सीमा को 45 वर्ष से बढ़ा कर 47 वर्ष कर दिया जाए।

कृपया पावती दें।




(डी.वी. राव)

संयुक्त निदेशक, स्था.(अराज.)
रेलवे बोर्ड

सं. ई(एन.जी)I-1999/पी.एम.7/17

नई दिल्ली, दिनांक 09.06.2010

1. महासचिव, ऑल इंडियन रेलवेमेन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 अतिरिक्त प्रतियां)।
2. महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन, कमरा नं. 256-ई, रेल भवन (35 अतिरिक्त प्रतियां)।
3. सभी सदस्य, विभागीय परिषद् एवं राष्ट्रीय परिषद् तथा सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद्, 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली (60 अतिरिक्त प्रतियां)।
4. महासचिव, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 256-ए, रेल भवन नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
5. महासचिव, इंडियन रेलवे प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 268, रेल भवन नई दिल्ली (5 अतिरिक्त प्रतियां)।
6. महासचिव, ऑल इंडिया आर.पी.एफ. एसोसिएशन, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन नई दिल्ली।
7. सचिव, आर.बी.एस.एस. ग्रुप 'ए' अधिकारी एसोसिएशन, रेल भवन नई दिल्ली।
8. सचिव, आर.बी.एस.एस. ग्रुप 'बी' अधिकारी एसोसिएशन, रेल भवन नई दिल्ली।
9. सचिव, आर.बी.एम.एस.ए., रेल भवन नई दिल्ली।
10. सचिव, रेलवे बोर्ड ग्रुप 'डी' कर्मचारी संघ रेल भवन नई दिल्ली।
11. सलाहकार, संरक्षा, रेलवे बोर्ड।
12. मुख्य आयुक्त, रेल संरक्षा, लखनऊ।
13. महानिदेशक एवं पदेन महाप्रबंधक, आर.डी.एस.ओ., लखनऊ।
14. सचिव, रेलवे बोर्ड प्रोमोटी ऑफिसर्स एसोसिएशन, कमरा नं. 341-सी, रेल भवन नई दिल्ली।
15. डी.एफ.सी.सी.आई.एल, पांचवा तल, प्रगति मैदान, मेट्रो स्टेशन कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-1


कृते सचिव/रेलवे बोर्ड